

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1397

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध

†1397. श्री निर्नोग इरिंग:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश में साइबर अपराधों में वृद्धि हो रही है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस अपराध को रोकने के लिए नया कानून लाने और पुलिस तथा जांच एजेन्सियों को और अधिक सुविधाएं देने का है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग): जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज मामलों, और गिरफ्तार व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़ा अनुलग्नक में संलग्न है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और संशोधित अधिनियम, 2008 के मामलों को देखने वाला नोडल मंत्रालय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर संबंधी मामलों की मॉनीटरिंग कर रहा है और संशोधित अधिनियम सभी प्रकार के साइबर अपराधों का व्यापक रूप से समाधान करती है और यह अन्य देशों में अधिनियमित ऐसे ही अधिनियमों की तर्ज पर है। सरकार ने साइबर अपराधों एवं डिजिटल साक्ष्य की जांच के क्षेत्र में पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को गहनता से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में साइबर अपराध सेल स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशिक्षण एवं जांच लैब भी स्थापित की गई हैं। साइबर अपराधों के मामलों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए साइबर अपराध जांच एवं डिजिटल साक्ष्य के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), राज्य सरकारें और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) मिलकर कार्य कर रहे हैं।

‘साइबर अपराध’ के संबंध में दिनांक 02.12.2014 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1397 के भाग (क) के उत्तर में उल्लेखित अनुलग्नक

अनुलग्नक

वर्ष 2011-2013 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं साइबर अपराध के अधीन आईपीसी की संबंधित धारा के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले(सीआर) और गिरफ्तार व्यक्ति(पीएआर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011		2012		2013	
		आई टी अधिनियम		आई टी अधिनियम		आई टी अधिनियम	
		सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर	सीआर	पीएआर
1	आन्ध्र प्रदेश	349	242	429	170	635	296
2	अरुणाचल प्रदेश	13	7	12	6	10	5
3	असम	31	6	28	5	154	2
4	बिहार	25	6	23	17	23	22
5	छत्तीसगढ़	2	2	49	31	91	35
6	गोवा	16	4	30	10	57	10
7	गुजरात	52	36	68	72	61	51
8	हरियाणा	42	15	66	25	112	58
9	हिमाचल प्रदेश	12	5	20	25	24	13
10	जम्मू और कश्मीर	14	3	35	17	46	16
11	झारखंड	8	9	10	8	13	7
12	कर्नाटक	151	34	412	66	513	94
13	केरल	227	135	269	151	349	151
14	मध्य प्रदेश	90	97	142	152	282	165
15	महाराष्ट्र	306	226	471	324	681	426
16	मणिपुर	0	0	0	0	1	0
17	मेघालय	6	3	6	0	17	0
18	मिजोरम	3	1	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	7	1	14	1	65	41
21	पंजाब	59	38	72	86	146	123
22	राजस्थान	122	110	147	90	239	135
23	सिक्किम	3	1	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	37	43	39	33	54	43
25	त्रिपुरा	0	0	14	10	14	13
26	उत्तर प्रदेश	101	123	205	112	372	283
27	उत्तराखंड	6	3	4	2	23	3
28	पश्चिम बंगाल	43	11	196	73	210	58
	कुल (राज्य)	1725	1161	2761	1486	4192	2050
29	अं.औरनि .द्वीपसमूह	0	0	2	0	18	3
30	चंडीगढ़	10	5	33	5	9	7
31	दादरा और नगर हवेली	3	1	0	0	0	0
32	दमण और द्वीव	1	1	0	0	1	2
33	दिल्ली	50	15	76	27	131	34
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	2	1	4	4	5	2
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	66	23	115	36	164	48
	कुल (अखिल भारत)	1791	1184	2876	1522	4356	2098

स्रोत: भारत में अपराध
